

परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य स्तर पर गठित "राज्य स्तरीय परिवार नियोजन इन्डेमिनिटी उपसमिति" की दिनांक 10 अक्टूबर 2024 को सम्पन्न हुई 24वीं बैठक का कार्यवृत्त।

परिवार नियोजन इन्डेमिनिटी योजना के अन्तर्गत राज्य स्तर पर गठित "राज्य स्तरीय परिवार नियोजन इन्डेमिनिटी उपसमिति" की 24वीं बैठक मिशन निदेशक, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, लखनऊ की अध्यक्षता में दिनांक 10 अक्टूबर 2024 (दिन-बृहस्पतिवार) को प्रातः 11:30 बजे एन0एच0एम0 के सभागार कक्ष में बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें अधिकारियों की उपस्थिति निम्नवत् रही:-

- | | |
|--|------------------|
| (1) डा० दिनेश कुमार, निदेशक(प०क०)
परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। | - विशेष आमंत्रित |
| (2) डा० उदय प्रताप, संयुक्त निदेशक(परिवार नियोजन),
परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। | - सदस्य सचिव |
| (3) डा० कंचन गुप्ता, कन्सल्टेंट(स्त्री रोग विशेषज्ञ)
वीरांगना अवन्तीबाई महिला चिकित्सालय, गोलार्गज, लखनऊ। | - सदस्य |
| (4) डा० सुरम्या पाण्डेय, वरिष्ठ परामर्शदाता,
डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल, हजरतगंज, लखनऊ। | - सदस्य |
| (5) डा० सूर्याशु ओझा, महाप्रबन्धक(प०क०),
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। | - विशेष आमंत्रित |

डा० उदय प्रताप, संयुक्त निदेशक(प०क०) द्वारा राज्य स्तरीय उपसमिति को यह अवगत कराया गया कि गत बैठक दिनांक 27 फरवरी 2024 के पश्चात 49 जनपदों से नसबन्दी उपरान्त गर्भधारण के 444, जटिलता के 02 व मृत्यु के 04 कुल 450 पूर्ण दावा प्रपत्र निदेशालय को प्राप्त हुए हैं, जिनका परीक्षण 1. डा० उदय प्रताप, संयुक्त निदेशक, परिवार नियोजन 2. डा० कंचन गुप्ता, स्त्री रोग विशेषज्ञ, अवन्तीबाई महिला चिकित्सालय, लखनऊ एवं 3. डा० सुरम्या पाण्डेय, सर्जन, सिविल अस्पताल, हजरतगंज, लखनऊ द्वारा किया गया है।

अध्यक्ष महोदया द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में डा० सूर्याशु ओझा, महाप्रबन्धक(प०क०), राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा नामित 04 सदस्यीय टीम क्रमशः 1. श्री मनीष सोनी, कन्सल्टेंट 2. श्री मसूद सलीम, कन्सल्टेंट 3. श्री अखिलेश श्रीवास्तव, कोऑर्डिनेटर एवं 4. श्री अमित अवस्थी, प्रोग्राम असिस्टेंट द्वारा भी दिनांक 05.08.2024, 06.08.2024, 07.08.2024, 08.08.2024, 14.08.2024 एवं 03.09.2024 को निदेशालय में जाकर दावा प्रपत्रों का परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त 450 दावा प्रपत्रों में कतिपय टंकण त्रुटि पाई गयी, जिसे तत्काल ठीक भी करा दिया गया है।

राज्य स्तरीय परिवार नियोजन इन्डेमिनिटी उपसमिति द्वारा उपरोक्त का संज्ञान लेते हुए सर्वसम्मति से बैठक में प्रस्तुत नसबन्दी उपरान्त गर्भधारण से सम्बन्धित 444, जटिलता से सम्बन्धित 02 व मृत्यु से सम्बन्धित 04 कुल 450 दावा प्रपत्रों के सापेक्ष 02 अस्वीकृत पाये गये दावा प्रपत्र (जिसका कारण "नसबन्दी उपरान्त गर्भधारण की पुष्टि होने की तिथि से 90 दिन के भीतर क्लेम न किया जाना है") को छोड़कर शेष स्वीकृत पाये गये 448 दावा प्रपत्र (जिसमें 442 गर्भधारण के, 2 जटिलता के व 4 मृत्यु के हैं) का कुल बजट रु० 2,67,76,810/- (रु० दो करोड़ सड़सठ लाख छियत्तर हजार आठ सौ दस मात्र) सम्बन्धित जनपदों को आवंटित करने की संस्तुति प्रदान की गयी, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

1. एन०एच०एम० स्तर से सम्बन्धित जनपदों को आवंटित किये जाने वाले बजट का विवरण:-

शासनादेश दिनांक 03 जुलाई 2014 से आच्छादित स्वीकृत दावा प्रपत्रों का विवरण											
A	स्वीकृत केस				क्लेम धनराशि			स्वीकृत धनराशि			
	गर्भधारण	जटिलता	मृत्यु	कुल केस	गर्भधारण	जटिलता	मृत्यु	गर्भधारण	जटिलता	मृत्यु	कुल स्वीकृत धनराशि
	47	0	0	47	30000	25000	200000	14,10,000	0	0	14,10,000

शासनादेश दिनांक 21 अगस्त 2019 से आच्छादित स्वीकृत दावा प्रपत्रों का विवरण											
B	स्वीकृत केस				क्लेम धनराशि			स्वीकृत धनराशि			
	गर्भधारण	जटिलता	मृत्यु	कुल केस	गर्भधारण	जटिलता	मृत्यु	गर्भधारण	जटिलता	मृत्यु	कुल स्वीकृत धनराशि
	395	2	4	401	60000	50000	400000	118,50,000	33405	800000	12683405

इस तरह बिन्दु संख्या A + B को जोड़कर कुल 448 दावा प्रपत्रों की कुल धनराशि रु० 1,40,93,405.00 (एक करोड़ चालीस लाख तिरानब्बे हजार चार सौ पाँच मात्र), एन०एच०एम० स्तर से सम्बन्धित जनपदों को आवंटित किया जाना है।

2. महानिदेशक, परिवार कल्याण महानिदेशालय के स्तर से सम्बन्धित जनपदों को आवंटित किये जाने वाले बजट का विवरण:-

शासनादेश दिनांक 21 अगस्त 2019 से आच्छादित स्वीकृत दावा प्रपत्रों का विवरण											
B	स्वीकृत केस				क्लेम धनराशि			स्वीकृत धनराशि			
	गर्भधारण	जटिलता	मृत्यु	कुल केस	गर्भधारण	जटिलता	मृत्यु	गर्भधारण	जटिलता	मृत्यु	कुल स्वीकृत धनराशि
	395	2	4	401	60000	50000	400000	118,50,000	33405	800000	12683405

शासनादेश दिनांक 21 अगस्त 2019 से आच्छादित दावा 401 दावा प्रपत्रों की 50 प्रतिशत धनराशि रु० 1,26,83,405/- (एक करोड़ छब्बीस लाख तिरासी हजार चार सौ पाँच मात्र) परिवार कल्याण महानिदेशालय के स्तर से सम्बन्धित जनपदों को आवंटित किया जाना है।

अध्यक्ष महोदया द्वारा बैठक में निम्न निर्देश दिये गये:-

1. शासनादेश दिनांक 03 जुलाई 2014 से आच्छादित 47 दावा प्रपत्रों का पूर्ण बजट रु० 14,10,000/- (रु० चौदह लाख दस हजार मात्र) एवं शासनादेश दिनांक 21 अगस्त 2019 से आच्छादित 401 दावा प्रपत्रों का 50 प्रतिशत बजट रु० 1,26,83,405/- (रु० एक करोड़ छब्बीस लाख तिरासी हजार चार सौ पाँच मात्र) इस तरह कुल 448 दावा प्रपत्रों का बजट रु० 1,40,93,405/- (एक करोड़ चालीस लाख तिरानब्बे हजार चार सौ पाँच मात्र) एन०एच०एम० स्तर से सम्बन्धित जनपदों को आवंटित किये जाने हेतु बजट प्रस्ताव महानिदेशक, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ के स्तर से उपलब्ध कराया जाए, ताकि एन०एच०एम० स्तर से अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

(कार्यवाही- महानिदेशक, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ०प्र०)

2. शासनादेश दिनांक 21 अगस्त 2019 से आच्छादित 401 दावा प्रपत्रों का 50 प्रतिशत राज्य बजट रु० 1,26,83,405/- (रु० एक करोड़ छब्बीस लाख तिरासी हजार चार सौ पाँच मात्र) सम्बन्धित जनपदों को परिवार कल्याण महानिदेशालय के स्तर से आवंटित किया जाए।

(कार्यवाही- महानिदेशक, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ०प्र०)

3. शासनादेश दिनांक 03 जुलाई 2014 से आच्छादित 47 दावा प्रपत्रों का एन०एच०एम० स्तर से बजट आवंटित किये जाने के उपरान्त सम्बन्धित जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा लाभार्थियों को भुगतान करने से पूर्व उनका भौतिक सत्यापन करने के साथ ही उनका फीडबैक प्राप्त करते हुए उसकी रिपोर्ट/फीडबैक परिवार कल्याण महानिदेशालय व एन०एच०एम० को उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित जनपदों को पत्र प्रेषित किया जाए।

(कार्यवाही- महानिदेशक, प०क० महानिदेशालय/महाप्रबन्धक, परिवार नियोजन, एन०एच०एम०)

4. जिन जनपदों में वर्ष 2023-24 में असफल नसबन्दी के अत्यधिक केस दर्ज किए गए हैं, उन जनपदों में एन०एच०एम०/परिवार कल्याण महानिदेशालय के स्तर से बजट आवंटित किये जाने के उपरान्त सम्बन्धित जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा लाभार्थियों को भुगतान करने से पूर्व उनका भौतिक सत्यापन करने के साथ ही उनका फीडबैक भी प्राप्त करें तथा इसकी रिपोर्ट/फीडबैक परिवार कल्याण महानिदेशालय व एन०एच०एम० को उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित जनपदों को पत्र प्रेषित किया जाए।

(कार्यवाही- महानिदेशक, प०क० महानिदेशालय/महाप्रबन्धक, परिवार नियोजन, एन०एच०एम०)

७१

१५/१५

१५

5. जिन सर्जन के अत्यधिक केस हैं, उन सर्जन से दूरभाष/वर्चुअल के माध्यम समीक्षा करें और उनसे अभिमत प्राप्त करें कि अत्यधिक केस असफल क्यों हो रहे हैं।

(कार्यवाही— महानिदेशक, प०क० महानिदेशालय/महाप्रबन्धक, परिवार नियोजन, एन०एच०एम०)

6. जिन सर्जन के अत्यधिक केस हैं, उनका रिफ्रेशर प्रशिक्षण कराया जाने हेतु सम्बन्धित जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पत्र प्रेषित किया जाए।

(कार्यवाही— महानिदेशक, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ०प्र०)

7. जिन जनपदों से असफल नसबन्दी के अत्यधिक केस प्राप्त हो रहे हैं, उन जनपदों में परिवार कल्याण महानिदेशालय व एन०एच०एम० की संयुक्त टीम द्वारा भ्रमण किया जाए तथा केस अत्यधिक क्यों हो रहे हैं, इसकी समीक्षा भी की जाए।

(कार्यवाही— महाप्रबन्धक, परिवार नियोजन, एन०एच०एम०, उ०प्र०, लखनऊ)

8. डा० कंचन गुप्ता, स्त्री रोग विशेषज्ञ, अवन्तीबाई महिला चिकित्सालय, लखनऊ एवं डा० सौरम्या पाण्डेय, सर्जन, सिविल अस्पताल द्वारा आपस में सम्पर्क एवं समन्वय स्थापित कर नसबन्दी उपरान्त जटिलता व मृत्यु हेतु एक विस्तृत एस०ओ०पी० (Standard Operating Porcedure) तैयार कर निदेशालय को उपलब्ध कराए।

(कार्यवाही— डा० कंचन गुप्ता, स्त्री रोग विशेषज्ञ, अवन्तीबाई महिला चिकित्सालय, लखनऊ एवं डा० सौरम्या पाण्डेय, सर्जन, सिविल अस्पताल)

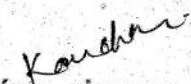
9. समस्त जनपदों में यह दिशा-निर्देश प्रेषित किया जाए कि नसबन्दी उपरान्त लाभार्थियों को क्या सावधानी रखनी चाहिए अथवा क्या नहीं।

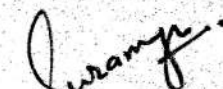
(कार्यवाही— महानिदेशक, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ)

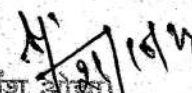
10. महानिदेशालय स्तर से प्रस्तावित बजट का पुनर्गणना (Recalculation) करने के उपरान्त भुगतान हेतु अग्रिम आवश्यक कार्यवाही किया जाए।

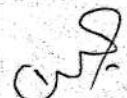
(कार्यवाही— महाप्रबन्धक, परिवार नियोजन, एन०एच०एम०, उ०प्र०, लखनऊ)

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त किया गया।

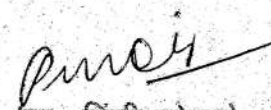

(डा० कंचन गुप्ता)
स्त्री रोग विशेषज्ञ,
अव० महि० चिकित्सालय, लखनऊ
सदस्य


(डा० सुरम्या पाण्डेय)
सर्जन,
श्या०प्रसा०मुख०, सिविल, अस्पताल, लखनऊ
सदस्य


(डा० सूर्याशु ओझा)
महाप्रबन्धक(परिवार नियोजन),
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०, लखनऊ


(डा० उदय प्रताप)
संयुक्त निदेशक(परिवार नियोजन),
प०क० महानिदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ
सदस्य सचिव


(डा० नरेन्द्र अग्रवाल)
महानिदेशक,
संयोजक


(डा० पिकी जोवाल),
मिशन निदेशक,
अध्यक्ष